रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 822] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937
No. 822] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

IndiaCode

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 8 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 1016(अ).—नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 (2010 की सं. 38) की धारा 7 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **लघु नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों को नाभिकीय दायित्व निधि नियम 2015 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं.**–(1) इन नियमों में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" अर्थात नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम 2010 (वर्ष 2010 की सं. 38);

(ख) "लेवी" अर्थात् नियम 3 के अधीन प्रचालक से प्रभारित राशि

(ग) "निधि" अर्थात् नियम 3 के अधीन स्थापित नाभिकीय दायित्व निधि

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो यहां परिभाषित नहीं की गयी हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, अधिनियम में उनके लिए क्रमश: निर्दिष्ट तात्पर्य माने जाएंगे।

3. केंद्रीय सरकार द्वारा नाभिकीय दायित्व निधि की स्थापना.—

(1) ऐसी तारीख जो अधिसूचना द्वारा नियत की जाय, के प्रभाव से इन नियमों के उद्देश्य के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा एक निधि स्थापित की जाएगी, जो नाभिकीय दायित्व निधि कहलायेगी।

(2) निधि में नाभिकीय संस्थापनाओं के प्रचालकों से एकत्रित लेवी शामिल होगी।

(3) प्रचालक अपने ग्राहकों को बेची गई विद्युत की प्रति यूनिट के लिए रुपए 0.05 (5 पैसे) की दर से लेवी अथवा रुपए 0.05 से 0.10 (5 पैसे से 10 पैसे) के बीच की ऐसी दर पर लेवी के रूप में निधि को भुगतान करेगा।

(4) लेवी तब तक एकत्रित की जाएगी व इसका भुगतान निधि को किया जाएगा, जब तक यह रुपए दो हजार करोड़ तक नहीं पहुंच जाती, और उसके बाद, निधि से किसी आहरण की स्थिति में प्रक्रिया पुन: प्रारंभ होगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि किसी भी समय में निधि में शेष राशि रुपए दो हजार करोड़ बनी रहे।

(5) लेवी तिमाही के आधार पर देय होगी और लेवी की राशि वर्ष की प्रत्येक तिमाही हेतु अगली तिमाही के पहले माह के 15 वें दिन के अंदर निधि में जमा होगी।

4. निधि का संचालन.—(1) निधि की व्यवस्था ऐसी निधियों के लिए केंद्र सरकार के लोक लेखा प्रबंधन से संबंधित नियमों एवं अनुदेशों के अनुसार होगी।

(2) नाभिकीय दायित्व निधि के लिए प्रचालक द्वारा किए गए भुगतान भारत की समेकित निधि में जमा किये जाएंगे और तत्पश्चात सम्यक कार्य पद्धति का पालन करते हुए उसे लेखा शीर्ष "एमएच 8235 सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि" के अधीन लोक खाता में अंतरित किया जाएगा ।

(3) जब और जैसे नाभिकीय दायित्व निधि से भुगतान करने की स्थिति उत्पन्न होने पर केंद्रीय सरकार किए जाने वाले भुगतान को निर्धारित करेगी और भुगतान के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

5. ब्याज का भुगतान.—प्रचालक द्वारा भुगतान में विलंब के मामले में, प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जाएगी और यह प्रचालक पर दैनिक आधार पर प्रभारित की जाएगी।

[फा. सं. 4/4/1/2012-ईआर]

प्रणय वर्मा, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th December, 2015

G.S.R. 1016(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (No.38 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Nuclear Liability Fund Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (No.38 of 2010);

(b) "levy" means the amount charged from the operator under rule 3;

(c) "Fund" means the Nuclear Liability Fund established under rule 3;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Establishment of Nuclear Liability Fund by Central Government.—

(1) With effect from such date as may be appointed by notification, there shall be established by the Central Government, for the purposes of these rules, a Fund to be called the Nuclear Liability Fund.

(2) The Fund shall comprise the levy collected from operators of nuclear installations.

(3) The operator shall pay to the Fund, a levy at the rate of rupees 0.05 (five paise) or a levy at such rate between rupees 0.05 to 0.10 (five paise to ten paise) for every unit of electricity sold to its customers.

(4) The levy shall be collected and paid to the Fund till the total amount reaches two thousand crore rupees, and thereafter, the process shall resume in the event of any withdrawals from the Fund so as to ensure that the Fund balance remains at two thousand crore rupees at any given time.

(5) The levy shall be payable on quarterly basis and the levy amount for every quarter of the year shall be credited to the Fund within the 15th day of the month succeeding the quarter.

4. Operation of Fund.—(1) The Fund shall be managed in accordance with rules and instructions relating to management of Public Accounts of the Central Government for such funds.

(2) The payments made by an operator towards the Nuclear Liability Fund shall be credited into the Consolidated Fund of India and then transferred to the Public Account under the Head of Account "MH 8235 General and Other Reserve Fund" following due procedures.

(3) As and when a need for payment out of the Nuclear Liability Fund arises, the Central Government shall ascertain the payment to be made and obtain the Parliament's approval for making the payment:

5. Payment of interest.—In case of delay in payment by the operator, the interest at the rate of 18 per cent per annum shall be calculated and charged on daily basis on the operator.

[F. No. 4/4/1/2012-ER]

PRANAY VERMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.